सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-1)

पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)

2.	''चेतावनी'' सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा । इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित, तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा ।
3.	यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी ।

1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों)	उपनाम	नाम
2. (क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं कस्बा) :		
3. (क) घर का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ गांव, थाना एवं जनपद, या मकान संख्या, वीथी/ गली / सड़क एवं कस्बे तथा जनपद मुख्यालय का नाम:		

4. विगत पांच वर्षों की अवधि में उन स्थानों का विवरण दिया जाय (जहां आप) एक वर्ष से अधिक से अवधि तक रहे हों (निवास की अवधि के साथ) विदेश निवास (पाकिस्तान सहित) की स्थिति में उन समस्त स्थानों का विवरण, जहां आप 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों ।

दिनांक	निवास का पता (उदाहरणार्थ मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क ग्राम थाना नगर जनपद)	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का वर्णन

5.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय का पता	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत हो तो अन्तिम पता	घर का स्थायी पता
क) पिता ख) माता						

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ग) पत्नी/पति घ) भ्रातागण/ ड़) भगिनी/ भगिनीगण						

5. (क)	पुत्र एवं/या पुत्री के संबंध में सूचना दी जाये यदि वे किसी विदेशी राष्ट्र में निवास या अध्ययन कर रहे हों

नाम	जन्म से या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्मस्थल देश	जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का नाम, पूर्ण पता सहित	दिनांक, जिसमे पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित देश में निवास/अध्ययन कर रहे हैं

6.		राष्ट्रीयता :
7.	(क)	जन्म तिथि
	(ख)	वर्तमान आयु:
	(ग)	10वीं कक्षा में आयु क्या थी:
8.	(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहां वह अवस्थित है :
	(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं :
	(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे
9.	(क)	आपका धर्म
	(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नही में उत्तर दीजिए।)

10.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययन किया को वर्षवार एवं स्थानवार दर्शाते हुए :

विद्यालयों/ महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गयी परीक्षा

11.	(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सररकाकर या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्त निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि का पूर्ण विवरण दें:

अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने कारण
तिथि से		तिथि से	

(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार/ किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ एवं स्वायत्तशासी निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनिक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?		
12 (एक)	(क)	क्या आप कभी गिरफ्तार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ख)	क्या आप कभी अभियोजित हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ग)	क्या आप कभी नजरबंद हुये हैं	हाँ/नहीं
	(घ)	क्या आप कभी तड़ीपार हुये हैं	हाँ/नहीं
	(ड)	क्या आपको कभी न्यायालय ने अर्थदण्ड दिया है	हाँ/नहीं
	(च)	क्या आपको किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं	हाँ/नहीं
	(छ)	क्या आपको कभी किसी लोक सेव आयोग/कर्मचारी चयनन आयोग द्वारा अपनी किसी परीक्षा/चयन के लिए विवर्जित / अयोग्य घोषित किया गया है	हाँ/नहीं
	(ज)	सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरूद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
	(झ)	इस सत्यापन प्रपत्र को भरने के समय आपके विरूद्ध किसी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक प्राधिकरण/ संस्था में कोई वाद लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
	(त्र)	क्या सरकार या अन्यथा के अधीन किसी प्रशिक्षण/ संस्थान से आपकी कार्यमुक्ति/निष्कासन वापसी तो नही हुयी है	हाँ/नहीं
(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो <u>वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें:</u>	
टिप्पणी	(एक)	कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" भी देखें ।	
	(दो)	यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नही" के रूप दिये जाने सकते हैं ।	
13.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	1) 2)	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मूझे अनअर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर:
दिनांक:
स्थान:

अभिज्ञान प्रमाण पत्र

(प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)

(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी
(सात)	डाकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ पुत्री
श्री.....को मैं विगत.....मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर :
पदनाम या प्रास्थिति
एवं पता :

<u>कार्यालय द्वारा भरा जायेगा ।</u>

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता:

दो) पद जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी का चयन किया गया है:

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>सत्यापन प्रपत्र (अनुलगनक-2)</u>

पासपोर्ट आकार का नवीनतम हस्ताक्षरित चित्र चिपकायें (5 सेमी गुणा 7 सेमी)	1 2 3	**<u>"चेतावनी"</u>** **सत्यापन प्रपत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करना या किसी भी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता होगी और सरकार के अधीन नियोजन के लिए अभ्यर्थी अपात्र हो जायेगा। इस प्रपत्र को पूर्ण करने एवं जमा करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी नजरबंद, गिरफ्तार, अभियोजित** तड़ीपार कृत अर्थदण्ड से दण्डित दोषकृत, विवर्जित या अपराध मुक्त आदि किया जाता है तो उन विवरणों को तत्काल उन प्राधिकारियों के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए जिनके पास पूर्व में सत्यापन प्रपत्र भेजा गया था, इसमें विफल होने पर तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना माना जायेगा । यदि, किसी व्यक्ति की सेवा अवधि के मध्य किसी समय सत्यापन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का छिपाया जाना या त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो उसकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होंगी।		
1. पूर्ण नाम (बड़े अक्षरों में			उपनाम	नाम
2.(क) पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या				
2.	पूर्ण वर्तमान पता (उदाहरण-ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, <u>वीथी/ गली/ सड़क</u> एवं नगर):			
3.	घर का पूर्ण पता (उदाहरण- ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, वीथी/ गली/ सड़क एवं नगर तथा जनपद मुख्यालय का नाम:			
4.	आधार कार्ड संख्या :			
5.	पैन संख्या :			
6.	राष्ट्रीयता :			
7.(क)	जन्म तिथि :			
(ख)	वर्तमान आयु :			
(ग)	10 वीं कक्षा में आयु क्या थी :			
8.(क)	जन्म स्थान, जनपद एवं राज्य जहॉ वह अवस्थित है :			
(ख)	जनपद एवं राज्य जिससे आप संबंधित हैं :			

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग)	जनपद एवं राज्य जिससे आपके पिता मूल रूप से संबंधित थे :	
9.(क)	आपका धर्म :	
(ख)	क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं : (हां या नहीं में उत्तर दीजिए)	

10.	उन स्थानों का विवरण (निवास की अवधि के साथ) जहॉ आपने विगत पॉच वर्षों की समयावधि में एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है । विदेश निवास के प्रकरण में (पाकिस्तान समेत), उन समस्त स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए, जहॉ आपने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है ।		
दिनांक से	दिनांक तक	निवास का पूर्ण पता (उदाहरणार्थ ग्राम, थाना एवं जनपद या मकान संख्या, गली/ वीथी/ सड़क एवं नगर	जनपद मुख्यालय का नाम या पूर्ववर्ती स्तम्भ में वर्णित स्थान का नाम

11.	नाम (पूर्ण रूप में एवं उपनाम यदि कोई हो)	राष्ट्रीयता (जन्म से एवं अधिवास से)	जन्म स्थान	व्यवसाय, यदि नियोजित है तो पदनाम एवं कार्यालय के पते का विवरण	वर्तमान डाक का पता (यदि मृत्यु हो चुकी है तो अंतिम निवास का पता)	घर का स्थायी पता
(क) पिता (ख) माता (ग) पत्नी						

12.	पुत्र (पुत्रगण)/पुत्री (पुत्रियां) यदि किसी विदेशी राष्ट्र में अध्ययन/ निवास कर रहे हैं तो उनके संबंध में सूचना दी जाये :			
नाम	जन्म या अधिवास से राष्ट्रीयता	जन्म स्थान	राष्ट्र जिसमें निवास/अध्ययन कर रहे हैं का पूर्ण पते के साथ विवरण	वह तिथि जिससे पूर्व स्तम्भ में वर्णित राष्ट्र में निवास/अध्ययन कर रहे हैं :

13.	शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु के पश्चात उन शैक्षिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को दर्शाते हुए जिनमें शिक्षा प्राप्त की हो :			
विद्यालय /महाविद्यालय का नाम (पूर्ण पते सहित)		प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण की गई परीक्षा

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14.(क)	क्या आपने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अर्द्ध सरकार या मानद सरकारी निकाय या किसी स्वायत्तशासी निकाय या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी फर्म या संस्थान में किसी समय कोई पदधारित किया है या करते हैं? यदि हां तो नियुक्ति की तिथि के साथ पूर्ण विवरण दें :		
अवधि	पदनाम, परिलब्धियां एवं नियोजन की प्रकृति	नियोक्ता का पूर्ण नाम एवं पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
तिथि से	तिथि से तिथि तक		
14.(ख)	यदि पूर्व का नियोजन भारत सरकार/ किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण का उपक्रम/ एवं स्वायत्त निकाय/ विश्वविद्यालय/ स्थानीय निकाय के अधीन था। क्या आपने केन्द्रीय नागरिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम-5 या तत्समान नियमावली के अधीन एक मास की सूचना देकर सेवा छोड़ी थी, क्या आपके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी, या क्या आपको सेवा समाप्ति की सूचना दिये जाने या आपकी सेवा वास्तविक रूप से समाप्त हो जाने के समय पर या बाद की तिथियों में किसी प्रकरण में आपको अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था ?		

15.(एक)		क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आपको कभी अभियोजित किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आपको कभी नजरबंद किया गया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आप पर किसी न्यायालय ने अर्थदण्ड लगाया है ?	हाँ/नहीं
		क्या आप किसी कार्य के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं ?	हाँ/नहीं
		सत्यापन प्रपत्र भरने के समय आपके विरूद्ध कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित तो नही है	हाँ/नहीं
(दो)		इस सत्यापन प्रपत्र को भरते समय यदि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर "हां" है तो वाद/ गिरफ्तारी/ नजरबंदी/ अर्थदण्ड/ दोषसिद्धि/ दण्डादेश/ दण्ड आदि और/ या न्यायालय/ विश्वविद्यालय/ शैक्षिक प्राधिकरण आदि में लंबित वाद की प्रकृति का पूर्ण विवरण दें:	

टिप्पणी : कृपया इस सत्यापन प्रपत्र के शीर्ष पर अंकित "चेतावनी" को भी देखें

यथा प्रकरणानुसार प्रत्येक प्रश्न के विशिष्ट उत्तर "हां" या "नहीं" के रूप में दिये जा सकते हैं ।

16.	आपके क्षेत्र में दो उत्तरदायी व्यक्तियों या अनुमोदकों के नाम जिनसे आप परिचित हों।	1) 2)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्वोलिखित सूचना सत्य एवं पूर्ण है। सरकार के अधीन नियोजन के लिये मूझे अनअर्ह करने वाली किन्हीं परिस्थितियों की मुझे जानकारी नही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	अभ्यर्थी का हस्ताक्षर: दिनांक: स्थान:
	अभिज्ञान प्रमाण पत्र (प्रमाणपत्र निम्नांकित में से किन्हीं एक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)
(एक)	केन्द्र या राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी
(दो)	निर्वाचन क्षेत्र, जहां अभ्यर्थी या उसके परिजन/ अभिभावक सामान्य रूप से निवास करते हो के सांसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य
(तीन)	उप जिला मजिस्ट्रेट/ अधिकारी
(चार)	मजिस्ट्रेरियल शक्तियों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत तहसीलदार या नायब/ उप तहसीलदार
(पांच)	अभ्यर्थी ने जिस मान्यता प्राप्त विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था से अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य
(छह)	खण्ड विकास अधिकारी
(सात)	डाकपाल
(आठ)	पंचायत निरीक्षक
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....पुत्र/ पुत्री श्री.....को मैं विगत.....मास से जानता हूँ एवं मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है। दिनांक : स्थान :	हस्ताक्षर : पदनाम या प्रास्थिति एवं पता :

<u>कार्यालय द्वारा भरा जायेगा</u>

एक) नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता :

दो) पद, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी पर विचार किया जा रहा है :

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।